रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 358] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 2, 1976/श्रावण 11, 1898
No. 358] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 2, 1976/SRAVANA 11, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

ORDER

New Delhi, the 2nd August 1976

S.O. 521(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5, read with section 6, of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the Government of the State of Maharashtra, hereby extends to the whole of the State of Maharashtra, the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment for the investigation of offences punishable under section 120B, 121A, 427, 431, 435 and 440 of the Indian Penal Code (45 of 1860), sub-section (3) of section 5 of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884), sections 3, 4, 5 and 6 of the Explosive Substances Act, 1908 (6 of 1908), section 127 of the Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890), and Defence and Internal Security of India Act, 1971 (42 of 1971) and the Defence and Internal Security of India Rules, 1971 and attempts, abetments, and conspiracies in relation to or in connection with, the said offences and any other offence committed in the course of the same transaction, in regard to the following cases:—

1. Crime No. 3376/75 of Bombay Central Railway Police Station, relating to the explosion at the Bombay Central Railway Station on 10th December, 1975.

2. Crime No. 3457/75 of Bandra Railway Police Station relating to the explosion on railway overbridge on 24th December, 1975.

3. Crime No. 281/76 of DCB CID relating to the explosion at Railway bridge near King's Circle Railway Station.

[No. 228/4/76-AVD.II]

R. C. MISRA, Jt. Secy.

मंत्रीमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 1976

का० आ० 521(अ).—दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र सरकार की सहमति से केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित मामलों के बारे में, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धाराएं 120-बी, 121-ए, 427, 431, 435 तथा 440, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 की उप-धारा (3), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 का 6) की धाराएं 3, 4, 5 और 6 भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 127 तथा भारत रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 (1971 का 42) और भारत रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा नियम, 1971 के अधीन दण्डनीय अपराधों तथा उक्त अपराधों के संबंध में या उनसे संबंधित प्रयत्नों दुष्प्रेरणों और षड़यंत्रों तथा वैसी ही कार्रवाई के दौरान किये गये अन्य अपराधों का अन्वेषण करने के लिये दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार का समस्त महाराष्ट्र राज्य में विस्तार करती है।

1. दिनांक 10-12-75 को बम्बई सैंट्रल रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट से संबंधित बम्बई सैंट्रल रेलवे पुलिस स्टेशन का अपराध सं० 3376/75,

2. दिनांक 24-12-75 को रेलवे पुल पर हुए विस्फोट से संबंधित बान्द्रा रेलवे पुलिस स्टेशन का अपराध सं० 3457/75,

3. किंगस सर्किल के समीप रेलवे पुल पर हुए विस्फोट से संबंधित डी०सी०बी०, सी० आई० डी०, का अपराध सं० 281/76।

[सं० 228/4/76-ए० वी० डी०-II]

रमेश चन्द्र मिश्र, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1976